40

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-685-दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 09-01-06 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण क्रमांक 372/अपील/2002-03

.....

1- अनिल कुमार तनय श्री रामगरीब पटेल
2- अमोल कुमार तनय श्री रामगरीब पटेल
3- श्रीमती सुषमा देवी पत्नी श्री रामगरीब पटेल
4- रामगरीब तनय श्री रामप्रसाद
निवासीगण- ग्राम पहरखा, तहसील सिरमौर,
जिला-रीवा (म.प्र.)

----------आवेदकगण

विरूद्ध

1- अरूण कुमार तनय श्री रामसखा
2- अनिल कुमार तनय श्री रामसखा
3- जगन्नाथ तनय श्री रामावतार
4- यज्ञभान तनय श्री रामावतार
5- रामदर्श तनय श्री रामावतार
6- लक्ष्मण तनय श्री रामावतार
7- रामनिहोर तनय श्री बिशेषर प्रसाद
8- रामप्रताप तनय श्री शिवमंगल
निवासीगण- ग्राम पहरखा, तहसील सिरमौर,
जिला-रीवा (म.प्र.)

----------अनावेदगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस.के. वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/4/18 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-01-06 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा किये जाने के संबंध में तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जहॉ पर तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में बटवारा का आदेश पारित किया। इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष पृथक- पृथक अपील प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 44/अ-27/94-95 एवं 45/अ-27/94-95 पर पंजीबद्ध कर पारित आदेश दिनांक 24-05-2003 से आवेदकगण को सहखातेदार न मानते हुये अपील निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । जहॉ अपर आयुक्त रीवा ने अपने प्रकरण क्रमांक 372/अपील/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 09-01-06 से अपील सारहीन मानते हुये निरस्त किया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा तर्क सुने गये ।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण ने विचारण न्यायालय में वादग्रस्त भूमि का बटवारा करने हेतु आवेदन पत्र दिया था, जिस पर तहसीलदार ने बटवारा का आदेश पारित किया । प्रकरण के परिशीलन से विदित होता है कि विचारण न्यायालय में बटवारा सूची प्रस्तुत की गई थी, जिसमें सभी सहखातेदारों के हस्ताक्षर है । आवेदकगण वादग्रस्त आराजियों के सहखातेदार नहीं है। विचारण न्यायालय में वे पक्षकार भी नहीं है। संहिता के प्रावधान के अनुसार सहखातेदार को ही बटवारे का अधिकार प्राप्त् होता है । विचारण न्यायालय ने सभी सहखातेदारों को सुनने के पश्चात ही बटवारा आदेश पारित किया है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने एवं अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश में विस्तृत विवेचना कर की है। जहॉ तक अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दानपत्र का प्रश्न है, आवेदकगण चाहे तो

दानपत्र के आधार पर व्यावहार न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

5/ उपरोक्त् विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 09-01-06 स्थिर रखा जाता है।

(एस.एस. अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,